[2019] 9 एस. सी. आर 654

संजय रजक

बनाम्

बिहार राज्य

(2017 की आपराधिक अपील No.1070)

22 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860:धारा 364 (ए)-दोषसिद्धि और कठोर आजीवन कारावास-उच्च न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त को बरी करना-अभियोजन मामला यह था कि सह-अभियुक्त ने 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया-इकबालिया बयान में, दोनों अभियुक्तों ने खुलासा किया कि बच्चे का अपहरण करने के बाद, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को नदी के तल में दफना दिया-दोनों अभियुक्तों को आखिरी बार पीड़ित के साथ एक साथ देखा गया था-पुलिस ने शव की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं किया-निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की जबकि सह-अभियुक्त को बरी कर दिया-अपील पर कहा गयाः पीड़ित के सहपाठी ने बयान दिया कि जब वे स्कूल के गेट पर खड़े थे, तो चेहरा ढककर एक व्यक्ति पीड़ित के पास गया और उसे बताया कि उसके पिता उसे बुला रहे है और पीड़ित ने उसे पहचान लिया और उसे चाचा कहा-पीड़ित के माता-पिता का सबूत इस बात पर था कि सह-आरोपी पहले उनके घर में नौकर के रूप में काम करता था और सह-आरोपी से परिचित होने के कारण, बच्चा स्वाभाविक रूप से उसके साथ गया होगा-उन्होंने यह भी बयान दिया कि सह-आरोपी द्वारा फोन पर फिरौती की मांग की गई थी क्योंकि वे उसकी आवाज को पहचान सकते थे। कई अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना के दिन अपीलार्थी और

सह-अभियुक्त को पीड़ित के साथ देखा-पीड़ित के बैग की बरामदगी अपीलार्थी के घर से की गई थी जिसकी पहचान पीड़ित के पिता ने की थी-अपीलार्थी द्वारा उक्त बरामदगी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था-तथ्यों और मामले की परिस्थितियों से, मृत शरीर को बरामद करने में पुलिस की विफलता का बहुत अधिक परिणाम नहीं था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित को आखिरी बार उसके साथ देखे जाने और उसके घर से मृतक के सामान की बरामदगी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था-इसलिए, दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

प्रमाणः किसी व्यक्ति की पहचान-प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की एक विशिष्ट शैली होती है जो परिचित लोगों द्वारा पहचान को संभव बनाती है-अंधेरे में आवाज द्वारा किसी ज्ञात व्यक्ति की पहचान को आपराधिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता दी गई है-भले ही कोई व्यक्ति एक कॉल में अपनी आवाज को छिपाने की कोशिश करता हो, मानव स्वभाव की सीमाओं में कुछ शब्दों या वाक्यों को पहचान को उजागर करने वाली अनूठी शैली में बताने की प्रवृत्ति होगी-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने इन कारकों पर विचार किए बिना, यह राय देते हुए बरी करने में गलती की कि कोई दर्ज आवाज का नमूना उपलब्ध नहीं था-आपराधिक न्यायशास्त्र-दंड संहिता, 1860 -धारा 364 (ए)।

प्रमाणः परिस्थितिजन्य साक्ष्य- के अन्तर्गत अपराध का शरीर नही पाया गया-यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अपराध का शरीर बरामद नहीं करने में पुलिस की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह के लाभ पर आरोपी को बरी करने के लिए संदिग्ध बना देगी-यह केवल प्रासंगिक कारकों में से एक है जो सामान्य मानव विवेक और व्यवहार के आधार पर तर्कसंगतता और संभावना के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य सभी अवलोकित तथ्यों और परिस्थितियों के साथ विचार किया जाता है-दंड संहिता, 1860- धारा 364 (ए) अपील को खारिज करते हुए।

न्यायालय ने अवधारित किया।

1. पीडब्लू-10, जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी और पीड़ित के एक सहपाठी ने बयान दिया कि जब वे दोनों लगभग 12 बजे स्कूल के गेट पर खड़े थे, तो एक आदमी जिसका चेहरा नैपकिन से ढका हुआ था, पीड़ित के पास गया और उसे बताया कि उसके पिता उसे बुला रहे है। पीड़ित ने उसे "चाचा चाचा" के रूप में संबोधित किया। उस आदमी ने बच्चे का स्कूल बैग अपने कंधे पर ले लिया, उसे आइसक्रीम खिलाई और पीड़ित को ले गया।पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 पीड़ित के माता-पिता ने बयान दिया कि बरी किए गए सह-आरोपी पहले उनके घर में नौकर के रूप में काम करते थे। उक्त तथ्यों में, सह-अभियुक्त को "चाचा! चाचा!के रूप में संबोधित करनेवाले पीडित के महत्व का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। [कंडिका 5] [658-एच; 659-ए-सी]

2. पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 ने बयान दिया कि सह-अभियुक्त ने फिरौती की मांग करते हुए मोबाइल पर कॉल किया था। सह-अभियुक्त ने पहले गवाह के घर में काम किया था, उनके बयान में उनकी आवाज़ को पहचानने की कोई कमजोरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की एक विशिष्ट शैली होती है जो परिचित लोगों द्वारा पहचान को संभव बनाती है। अंधेरे में आवाज द्वारा किसी ज्ञात व्यक्ति में पहचान को आपराधिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति एक कॉल में अपनी आवाज को छिपाने में कोशिश करता है, तो मानव स्वभाव में सीमाओं को देखते हुए कुछ शब्दों या वाक्यों की एक अनूठी शैली से पहचान को उजागर करने में मदद मिलती है। उच्च न्यायालय ने इन कारकों पर विचार किए बिना, दुर्भाग्य से यह राय देते हुए बरी कर दिया कि कोई रिकॉर्ड की गई आवाज का नमूना उपलब्ध नहीं था। [कंडिका 6] [659-सी-ई]

3. पीडब्लू 5, शराब की दुकान के मालिक ने बयान दिया कि घटना के दिन ही अपीलार्थी और सह-अभियुक्त शराब खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आए थे। अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त को अपने रिश्तेदार के रूप में पेश किया। उनके साथ गुलाबी कमीज, नीली पैंट, नीली मोजे, काली बेल्ट, लाल टाई पहने 5 से 6 साल की

उम्र का एक लड़का था। वे उसकी दुकान पर लगभग दो घंटे तक शराब पीते रहे और फिर बच्चा के साथ चले गए। फिर भी सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर बरी कर दिया कि अपहरणकर्ता के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि पीडब्लू-10 ने कहा कि अपहरणकर्ता ने अपना चेहरा नैपकिन से ढका हुआ था और इसलिए कठघरे में पहचान संदिग्ध थी। अभियोजन पक्ष ने बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सह-अभियुक्त को बरी करने से अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। पीडब्लू-8 ने बयान दिया कि अपीलार्थी 5 से 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे के साथ उनके होटल में आया था और भोजन परोसे जाने का अनुरोध किया था। इसी तरह, पीडब्लू-9 ने भी अपीलार्थी को बच्चे के साथ देखकर बयान दिया था। बाद में शाम को जब उसने टेलीविजन पर लापता बच्चे की तस्वीर देखी, तो वह अपीलकर्ता के साथ गए बच्चों की पहचान करने में समर्थ था.इसके बाद गवाह पुलिस को जानकारी देने के लिए गया। जब्ती गवाह पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 की उपस्थिति में अपीलार्थी के घर पर छापा मारा गया।पीड़िता का काले रंग का स्कूल बैग अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया था.स्कूल की डायरी और उसमें रखे कॉपियों पर पीड़ित का नाम था। स्कूल की डायरी में उनके घर का फोन नंबर और उनके पिता का मोबाइल नंबर भी था। बरामद वस्तुओं की पहचान पीड़ित के पिता पीडब्लू-12 ने की। अपीलार्थी ने उक्त वसूली के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिवाय इससे इनकार करने के। [कंडिका 7,8] [659-एफ-एच; 660-ए-सी]

4. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि अपराध की शरीर की बरामद करने में पुलिस की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना देगी जिससे आरोपी संदेह के लाभ पर बरी होने का हकदार हो जाएगा। सामान्य माव विवेक एवं व्यवहार पर आधारित एवं तार्किकता एवं संभाव्यता पर आधारित किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ-साथ, यह भी प्रासंगिक कारकों में से एक है, जिस पर विचार किया जाना है। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो में, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित को आखिरी बार उसके साथ देखे जाने और उसके घर से मृतक के सामान की बरामदगी के संबंध में किसी भी

स्पष्टीकरण के अभाव में पुलिस द्वारा मृत शरीर की बरामदगी की विफलता का बहुत अधिक परिणाम नहीं है। [कंडिका 9] [660-सी-ई]

रामानंद और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1981) 1 एस. सी. सी. 511:[1981] 2 एससीआर 444; सेवक पेरुमल और एक अन्य दूसरा बनाम तमिलनाडु राज्य (1991) 3 एस. सी. सी. 471:[1991] 2 एससीआर 711-पर निर्भर था।

सत्ततीय उर्फ सतीश राजन्ना कर्तल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 3 एस. सी. सी. 210-विशिष्ट।

लोहित कौशल बनाम हरियाणा राज्य (2009) 17 एस. सी. सी. 106; इकबाल और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 623:[2015] 6 एस. सी. आर. 239-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(2008) 3 एससीसी 210	विशिष्ट	कंडिका 3
(2009) 17 एससीसी 106	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
[2015] 6 एससीआर 239	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3
[1981] 2 एससीआर 444	पर आधारित	कंडिका 9
[1991] 2 एससीआर 711	पर आधारित	कंडिका 10

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1070/2017।

अपराधिक अपील (खंड पीठ) 2009 का सं. 813 में पटना (बिहार) में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2015 से।

प्रभाष कु. यादव, मंसूर अली, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

साकेत सिंह, सुश्री संगीता सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

निर्णय

अपीलकर्ता ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६४ (ए) के अंतर्गत अपने सजा और दोषसिद्धि के साथ आजीवन सश्रम कारावान को चुनौती दी है। निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए सह-अभियुक्त बलराम को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। नतीजतन, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा १२० बी के अंतर्गत आदोष से बरी कर दिया गया है।

2. अभियोग पक्ष पक्ष के मामला के अनुसार पीड़ित एक स्कूल जाने वाला बच्चा था जिसकी आयु लगभग 5 से 6 वर्ष थी।आरोप के अनुसार उनका 12 अप्रैल, 2007 को लगभग 12.15 बजे सह-अभियुक्त बलराम द्वारा स्कुल से अपहरण कर लिया गया था। अपीलकर्ता और सह अभियुक्त को अंतिम बार पीड़ित के साथ एक साथ देखा गया था। अपने इकबालिया बयान में दोनों आरोपीयों ने खुलासा किया कि बच्चे के अपहरण में बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और छपरा में सरयू नदी के तल पर शव को दफना दिया। पुलिस ने शव को वापस प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मृत पीड़ित का सामान अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया था।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी डब्लू 10 के अनुसार, मृतक के सहपाठी, सह-आरोपी बलराम ने उसका स्कूल से अपहरण कर लिया था। पीड़ित के माता-पिता, पी डब्लू 11 और पी डब्लू 12 ने आगे अभिसाक्ष्य दिया था कि बलराम द्वारा फिरौती की कॉल की गई थीं।सह अभियुक्त की दोषमुक्ति अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अरक्षणीय बनाती है।पीडब्लू. ५, ८ और ९ पर भरोसा

कि पीड़ित को अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ देखा गया था, केवल संभाव्यताओं की प्रबलता पर आधारित है.पी डब्ल्यू 5 ने बलराम और पीड़िता के साथ अपीलकर्ता को देखने के बाद अभिसाक्ष्य दिया था। अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें घटनाओं की श्रृंखला की कड़ी अधूरी है। मृत शरीर की वापसी के लिए कोई कदम नहीं उठाने की विफलता यह संदेह पैदा करता है कि अपहरण की ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं। इसके समर्थन में सत्ततिया उपनाम सतीश राजन्ना करतला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 3 एससीसी 210, लोहित कौशल बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 17 एससीसी 106 और इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 6 एससीसी 623 पर प्रस्तुतियां दी गईं।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त बलराम की दोषमुक्ति अपीलकर्ता के खिलाफ उपलब्ध प्रमाण की प्रकृति में अप्रासंगिक है.इसलिए उनकी दोषसिद्धि में किसी दखल अंदाजी की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। पीड़ित के एक सहपाठी और लगभग 8 साल की उम्र के पी डब्लू 10 ने बयान दिया है कि अपदस्थ कि जब वे दोनों लगभग 12 बजे स्कूल के द्वार पर खड़े थे, तो एक आदमी अपने चेहरे को नैपकिन से ढका हुआ पीड़ित के पास गया और उसे बताया कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं। पीड़ित ने उसे 'अंकल' कहा।व्यक्ति ने बच्चा का स्कूल बैग अपने कंधे पर ले लिया। उसे आइसक्रीम खिलाई और पीड़ित को ले गए। पीड़ित के माता-पिता पी डब्ल्यू 11 और पी डब्ल्यू 12 मनोज कुमार ने बयान दिया है कि बरी किये गए आरोपी बलराम ने पहले उनके घर में नौकर के रूप में काम किया था।उपर्युक्त तथ्यों में बलराम को ‘अंकल!अंकल!के रूप में संबोधित करनेवाले पीडित के महत्व का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और दुर्भाग्य से हाईकोर्ट द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। सह-अभियुक्त से परिचित होने के कारण, बच्चा सहज रूप से किसी हिचकिचाहट के साथ चला गया।

6. पीडब्लू 11 और पीडब्लू विलेनसन 12 ने अभिसाक्ष्य दिया कि बलराम ने फिरौती की मांग करते हुए मोबाइल पर कॉल किया था।बलराम ने गवाह के घर में पहले काम किया था, इसलिए हम उसकी आवाज पहचानने की उनके कथन में कोई कमी नहीं पाते।प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की एक विशिष्ट शैली होती है जो परिचित लोगों द्वारा पहचान को संभव बनाती है।अंधेरे में आवाज द्वारा किसी ज्ञात व्यक्ति में पहचान को आपराधिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति एक कॉल में अपनी आवाज को छिपाने में कोशिश करता है, तो मानव स्वभाव में सीमाओं को देखते हुए कुछ शब्दों या वाक्यों की एक अनूठी शैली से पहचान को उजागर करने में मदद मिलती है। उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त कारकों पर विचार किए बिना, दुर्भाग्य से यह कहते हुए दोषमुक्त किया कि कोई रिकॉर्ड किया गया आवाज का नमूना उपलब्ध नहीं था।

7. पीडब्लू 5, शराब की दुकान के मालिक ने बयान दिया कि घटना के दिन ही अपीलकर्ता और बलराम शराब खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आए थे. अपीलकर्ता ने बलराम को अपने रिश्तेदार के रूप में परिचय दिया। उनके साथ गुलाबी शर्ट, नीली पैंट, नीली मोजे, काली बेल्ट, लाल टाई पहने 5 साल से 6 साल का एक लड़का था। वे उसकी दुकान पर लगभग दो घंटे तक शराब पीते रहे और फिर बच्चा के साथ चले गए। फिर भी, बलराम को हाईकोर्ट ने इस विचार पर विमुक्त किया है कि अपहरणकर्ता के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि पी डब्लू 10 ने कहा गया कि अपहरणकर्ता ने अपना चेहरा एक रूमाल से ढका हुआ था और इसलिए उनकी पहचान संदिग्ध थी. अभियोजन पक्ष ने बरी किए जाने को चुनौती नहीं दी है। मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ में एक सह-अभियुक्त के मात्र बरी हो जाने से अपीलकर्ता को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है।

8. पीडब्ल्यू 8 ने बयान दिया है कि अपीलकर्ता 5 से 6 वर्ष की आयु के एक बच्चा के साथ उसके होटल में आया था और भोजन परोसे जाने का अनुरोध किया था। वैसे ही पी डब्लू 9 ने भी बच्चा के साथ अपीलकर्ता को देखने का बयान दिया। बाद में में शाम को जब उसने टेलीविजन पर लापता बच्चे की तस्वीर देखी, तो वह

अपीलकर्ता के साथ गए बच्चों की पहचान करने में समर्थ था.इसके बाद गवाह पुलिस को जानकारी देने के लिए गया। अपीलकर्ता के घर पर छापा पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के गवाहों की उपस्थिति में मारा गया। पीड़िता का काले रंग का स्कूल बैग अपीलकर्ता के घर से बरामद किया गया था। स्कूल की डायरी और कॉपी के अंदर पीड़ित का नाम लिखा था। स्कूल की डायरी में उसका घर का फोन नंबर और पिता का मोबाइल नंबर भी था।बरामद वस्तुओं की पहचान पीड़ित के पिता पीडब्ल्यू 12 द्वारा की गई थी। अपीलकर्ता ने उपरोक्त बरामदगी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिवाय इससे इनकार करने के।

9. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अचल नियम नहीं है कि पुलिस द्वारा बरामद करने की विफलता अभियोग पक्ष के मामलों में आरोपी संदेह का लाभ मिले। सामान्य मानव विवेक और व्यवहार के आधार पर तर्कसंगतता और संभाव्यता के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य सभी सहायक तथ्य और परिस्थितियाँ के साथ विचार किया जाने वाला यह केवल प्रांसंगिक कारकों में से एक है। मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में मृतक के शव को बरामद करने में पुलिस की विफलता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि पीडित को साथ देखा गया था और उसके घर से मृतक का सामान बरामद किया गया था। रामानंद और अन्य बनाम् राज्य हिमाचल प्रदेश, (1981) 1 एस. सी. सी. 511, पारिस्थितिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक मामला था जहां संदिग्ध साक्ष्य नहीं पाया गया था।इस अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहाः

> “28....लेकिन उन दिनों में जब हत्या के लिए फांसी ही एकमात्र दंड था, इस चेतावनी नियम का कार्यान्वयन करने की आवश्यकता अधिक थी। हिंसा के भौतिक प्रमाण के साथ पीड़ित के मृत शरीर की खोज को हत्या में साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है। वास्तव में, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां मृत की शरीर खोज असंभव है। इस पुराने 'शरीर' सिद्धांत का एक अंधा पालन कई जघन्य हत्यारों के लिए पूरी तरह से

खुला दरवाजा खोल देगा क्योंकी वे अपने पीडित के शरीर को नष्ट करने के लिए काफी चतुर और चालाक थे। हमारे कानून के संदर्भ में सर हाले के कथन की व्याख्या इस बात पर जोर देने से अधिक कुछ नहीं है कि जहां कहीं भी हत्या के मामला में पीड़ित का मृत शरीर नहीं मिला जाता है, पीड़ित की हत्या के अन्य ठोस और संतोषजनक सबूत अभियोग पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस तरह के सबूत चश्म्दीद गवाह के प्रत्यक्ष देखे जाने द्वारा या पारिस्थितिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा या दोनों द्वारा हो सकते हैं।" "किन्तु जहां केवल पारिस्थितिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा ही" "मानव घातक मृत्यु" "के तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वहां परिस्थितियां स्पष्ट और अपराध सार होनी चाहिए जिससे अंतिम रूप से यह अनुमान निकाला जा सके कि संबंधित पीड़ित की हत्या कर दी गई है।" "फिर भी, सावधानी के इस सिद्धांत को इतना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जितना कि पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता है। इस अआत्यन्तिक दुनिया में उत्तम सबूत शायद ही कभी मिलता है, और आत्यन्तिक निश्चितता एक मिथक है। यही कारण है कि प्रमाण कार्य की धारा 3 के अंतर्गत एक तथ्य को साबित किया जाता है, यदि अदालत अपने समक्ष मामलों पर विचार करता है, तो इसका अस्तित्व इतना संभावित है कि किसी विशिष्ट मामला की परिस्थितियों में, इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है. इसलिए अपराध सार या हत्या के तथ्य को परिस्थितियों को कह और समझाकर साबित किया जा सकता है जिससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के भीतर पीड़ित की हत्या संबंधित आरोपी द्वारा की गई है।"

10. सेवाका पेरूमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (1991) 3 एस. सी. सी. 471 वाला मामला भी एक ऐसा मामला था जहां अपराध सार नहीं मिला थी, फिर भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और कहा गया थाः

> "5....हत्या में लिए विचारण में यह कोई आत्यन्तिक आवश्यकता या एक आवश्यक सार नहीं है कि व्यक्ति की मृत के तथ्य को किसी अन्य तथ्य की तरह स्थापित किया जाए। अपराध सार में कुछ मामलों का पता लगाना या उन्हें बरामद करना संभव नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए एक हत्या की गई और मृत शरीर को बहने वाली ज्वारीय नदी या धारा में फेंक दिया गया या जला दिया गया।यह संभावना नहीं है कि मृत शरीर को बरामद किया जा सकता है। अतः, यदि किसी आरोपी को मामलों में दोषी ठहराने के लिए मृत शरीर की बरामदगी अत्यन्त आवश्यक है तो ऐसे मामलों में आरोपी यह दिखाने में सफल होगा कि मृत शरीर आदि नष्ट हो गया है और दोषियों को दंडित होने से पुरी तरह से छुट प्रदान करेगा और हत्या का अपराध साबित होने पर भी वह बच जाएगा । इसलिए, हत्या के अपराध के लिए दोषसिध्दि के आधार पर यह आवश्यक है कि इस बात का भरोसेमंद और स्वीकार्य प्रमाण होना चाहिए कि हत्या का अपराध, मृत्यु के किसी अन्य तथ्य के तरह किया गया था और इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, हालांकि मृत शरीर का पता नहीं लगाया जा सकता है।"

11. सत्तिया (उपर्युक्त) अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से विभेदित है क्योंकि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं था। अपराध के हथियार की बरामदगी पर अविश्वास किया गया क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कोई खुलासा बयान अभिलेख पर नहीं लाया गया था और बरामदगी एक खुले स्थान से की गई थी।वैसे ही लोहित कौशल (पूर्वोक्त) में

अपीलकर्ता को सह आरोपी की स्वीकारोक्ति पर आरोपी बनाया गया था। लेकिन अपीलकर्ता से कथित रूप से बरामद वाहन अपहरण में शामिल नहीं मिला गया. इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं था कि अपीलकर्ता बच्चा के अपहरण और ले जाने में शामिल रहा है। इकबाल (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पहचान परेड ठोस सबूत नहीं था और इसमें अलावा अपीलकर्ता से वस्तुओं की बरामदगी में कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हआ था।

12. इसलिए हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। याचिका ख़ारिज की जाती है।

(अशोक भूषण), न्यायमूर्ति

(नवीन सिन्हा), न्यायमूर्ति

नया दिल्ली

22 जुलाई, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।